

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.18(14)नविवि / Empa. Consultant / 2017

जयपुर, दिनांक:

आदेश

- 3 MAR 2017

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निकायों के तकनीकी कार्यों हेतु कन्सल्टेंट का एक पैनल तैयार किया गया था। यह पैनल राज्य सरकार के आदेश क्रमांक टीपीआर/ई.ओ. आर./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 के लागू होने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी था।

राज्य सरकार द्वारा शहरी जन कल्याण शिविर प्रारम्भ किये जा रहे हैं। शहरी जन कल्याण शिविरों में विभिन्न नगरीय निकायों में भूमि के नियमन संबंधी विभिन्न कार्यों यथा लीजडीड जारी करना, योजनाओं के सर्वे, ले-आउट प्लान, साईट प्लान, भवन मानचित्रों का अनुमोदन आदि एवं अन्य कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। अतः शिविरों में किये जाने वाले तकनीकी कार्यों हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक टीपीआर/ई.ओ.आर./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 की अवधि में दिनांक 31.03.2018 तक एतद्वारा वृद्धि की जाती है। आदेश दिनांक 03.10.2013 को विभागीय वेबसाईट www.udh.rajasthan.gov.in/Applicant Corner/ List & Order of Empanneled Professional से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(222)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम